झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या–परि0आ0 (कर माफी)–120/2020–.........1573........./ राँची, दिनांक–.......18-06-2020

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश सं0–98/HSN दिनांक–22.03.2020 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0–40-3/2020- DMI(A), Dated-24.03.2020 के द्वारा झारखण्ड राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पूर्णतया लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–RT-11012/02/2019-MVL(pt-8) दिनांक–30.03.2020 के द्वारा कोरोना महामारी से जनित विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 से संबंधित कागजातों की वैधता दिनांक–30.06.2020 तक विस्तारित की गई है।

उक्त के आलोक में कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–15 (1)–सहपठित–धारा–23 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 2001 के नियम–4(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत वैसे वाहन जिनका पथकर दिनांक–24.03.2020 से देय है अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक–24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही है, उनके लिए दिनांक–24.03.2020 से या उसके बाद देय कर हेतु अनुग्रह अवधि (Grace Period) का विस्तार दिनांक–30.06.2020 तक किया जाता है।

अनुग्रह अवधि की निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक–30.06.2020 के पश्चात् झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 2001 के नियम–4(2) के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

18/6/2020

(के० रवि कुमार)
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।